राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – मानोता कलां

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 50/2021

श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री सुमेर सिंह उम्र 30 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीया

ब–ना–म

1. सत्यनारायण पुत्र जयदयाल उम्र 62 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. जयसिंह पुत्र जयदयाल उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. रामकला पुत्री जयदयाल उम्र 66 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. फुला देवी पुत्री जयदयाल उम्र 64 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. कृष्णा देवी पुत्री जयदयाल उम्र 58 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. रमेश पुत्री जयदयाल उम्र 56 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. मुन्नी देवी पुत्री जयदयाल उम्र 54 साल जाति अहीर निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक :–09–12–2021**

वादिया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित आराजी जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के हाल खाता संख्या 134 के हाल खसरा नंबर 1348 रकबा 0.59 है., ख.नं. 1404 रकबा 0.60 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है. भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का हकपूर्वाधिकारी जयदयाल पुत्र भींवाराम दर्ज रिकार्ड है तथा जयदयाल पुत्र भींवाराम का देहान्त हो चुका है। वादिया ने दिनांक 13.07.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के हकपू[illegible] से भूमि खसरा नंबर 1404 में से 0.28 है. भूमि व खसरा नंबर 1348 में [illegible] है. कुल 0.5750 है. भूमि खरीद की थी और उसी दिन कब्जा [illegible] के समय से ही वादिया अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज [illegible]। वादिया अपनी खरीद शुदा भूमि का नामांतकरण सहवन से दर्ज नहीं करवा पाई [illegible] उसके बाद जयदयाल पुत्र भींवाराम का देहान्त हो गया इसलिये वादिया अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि की घोषणा करवाने के लिय यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.10 12:07:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के हाल खाता संख्या 134 के हाल खसरा नंबर 1348 रकबा 0.59 है., में से 0.2950 है. भूमि व खसरा नंबर 1404 रकबा 0.60 है. में से 0.28 है. भूमि अर्थात् 0.5750 है. भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की है।

वादिया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 134 ग्राम डाडाफतेहपुरा, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2018 पेश की गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजस्व लोक अदालत कैम्प मानोता कलां में पेश हुई। वादिया व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादिया ने उक्त वादग्रस्त भूमि दिनांक 13.07.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी। विक्रय करने वाला खातेदार जयदयाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिशान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादिया मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर सहमति दी है। इस प्रकार वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 134 के खसरा नंबर 1348 रकबा 0.59 है. में से 0.2950 है., खसरा नंबर 1404 रकबा 0.60 है. में से 0.28 है. अर्थात कुल 0.5750 है. का खातेदार काश्तकार वादिया को घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प मानोता कलां में दिनांक 09–12–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.10 12:07:12 IST
Reason: SelfAttested